

MASTER'S DEGREE IN SOCIAL WORK (MSW)

Term-End Examination

December, 2012

**MSW-004 : SOCIAL WORK AND SOCIAL
DEVELOPMENT**

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

- Note :**
- (i) *Answer all the five questions.*
 - (ii) *All questions carry equal marks.*
 - (iii) *Answer to questions 1 and 2 should not exceed 600 words each.*

-
1. Define urbanisation. Discuss urbanisation as a Politico-Administrative process. 20

OR

- Define globalization. Critically examine the link between globalization and inequality. 20

2. Discuss the three theoretical models of development. Which is more suitable to a country like India ? Explain. 20

OR

- Discuss the effectiveness of Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 in protecting the Rights of children. 20

3. Answer **any two** of the following questions in about **300** words each.
- (a) Discuss the conditions favourable for industrialisation. **10**
 - (b) Describe the impacts of liberalisation on employment. **10**
 - (c) Explain the major theoretical perspectives on women and development. **10**
 - (d) Review the constitutional provisions for protecting the Rights of SC/ST/OBC. **10**
4. Answer **any four** of the following questions in about **150** words each.
- (a) Briefly mention the prevailing occupational structure in India. **5**
 - (b) Discuss briefly the role of transnational corporations in globalization. **5**
 - (c) Elaborate the development - environment debate. **5**
 - (d) Briefly mention the salient features of Brundtland Commission's Report. **5**
 - (e) Present briefly the Marxian view of Population and Development. **5**
 - (f) Discuss the social ideas embedded in the preamble. **5**

5. Write short notes on **any five** of the following questions in about **100** words each.

- | | |
|--|---|
| (a) Debt crisis | 4 |
| (b) Work Participation Rates | 4 |
| (c) Stockholm Conference | 4 |
| (d) Ravenstein's laws of migration | 4 |
| (e) Welfare economics | 4 |
| (f) GAD approach. | 4 |
| (g) Juvenile Justice (care and protection) Act, 2000 | 4 |
| (h) Constitutional Remedies. | 4 |
-

समाज कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एस.डब्ल्यू.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2012

एम.एस.डब्ल्यू.-004 : समाज कार्य एवं सामाजिक विकास

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : (i) सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

(iii) प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर (प्रत्येक) 600 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।

1. शहरीकरण की परिभाषा दीजिए। एक राजनीतिक - प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में शहरीकरण की चर्चा कीजिए। 20

अथवा

वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए। वैश्वीकरण और असमानता के बीच संबंध की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 20

2. विकास के तीन सैद्धांतिक मॉडलों की चर्चा कीजिए। भारत जैसे किसी देश के लिए कौनसा मॉडल अधिक उपयुक्त है? 20

अथवा

बालकों के अधिकारों का संरक्षण करने में बाल श्रम (निषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 की प्रभाविता की चर्चा कीजिए। 20

3. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में) दीजिए :
- औद्योगिकीकरण के लिए अनुकूल दशाओं की चर्चा कीजिए। 10
 - रोजगार पर उदारीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। 10
 - महिलाओं और विकास पर मुख्य सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। 10
 - अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए संवैधानिक उपबंधों की समीक्षा कीजिए। 10
4. निम्नलिखित में से **किन्हीं चार** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में) दीजिए :
- भारत में मौजूदा व्यावसायिक संरचना का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 5
 - वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका की संक्षेप में चर्चा कीजिए। 5
 - विकास - पर्यावरण बहस पर प्रकाश डालिए। 5
 - ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5
 - जनसंख्या और विकास के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। 5
 - संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक विचारों की चर्चा कीजिए। 5

5. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ (प्रत्येक लगभग 100 शब्दों में) लिखिए :

- | | |
|--|---|
| (a) ऋण संकट | 4 |
| (b) कार्य सहभागिता दरें | 4 |
| (c) स्टॉकहोम सम्मेलन | 4 |
| (d) रेवेंस्टीन के प्रवास के नियम | 4 |
| (e) कल्याणकारी अर्थशास्त्र | 4 |
| (f) जी. ए. डी. उपागम | 4 |
| (g) किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 | 4 |
| (h) संवैधानिक उपचार | 4 |
-